मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0
4–ए, गोखले मार्ग
लखनऊ।

पत्रांक– 06 –प्रनि/मध्यांचल/ [illegible] **दिनांकः जनवरी, 2010**

विषयः– एरियल बन्च कण्डक्टर को बदलने पर उतारे गये तार के सम्बन्ध में ।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
फैजाबाद क्षेत्र/बरेली क्षेत्र/लखनऊ क्षेत्र/लेसा क्षेत्र ।

उपरोक्त विषयक संज्ञान मे आया है कि क्षेत्रों मे शासन/निगम के विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति करने एंव लाइन हॉनियॉ रोकने हेतु वितरण लाइनों के पुराने तार को एरियल बन्च कण्डक्टर से बदला जा रहा है । एरियल बन्च कण्डक्टर लगाने के उपरान्त उतारे गये तार का सही लेखा–जोखा नहीं रखा जा रहा है , जिसके फलस्वरूप उतारे गये तार के चोरी होनें तथा दुरूपयोग होने की पूरी सम्भावना रहती है । एरियल बन्च कण्डक्टर लगाने पर पुराना तार भी (लगभग उतनी ही मात्रा में) प्राप्त होता है , जिसको नियमानुसार मासिक लेखे में अंकित करना आवश्यक है ।

अतः तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जाता है कि उतारे गये तार की चोरी तथा दुरूपयोग रोकने हेतु अपने स्तर से कड़ा अनुश्रवण करें एंव उसी महीने में भण्डार मे जमा करायें । साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे पुराना तार भण्डार मे जमा कराने के उपरान्त ही भण्डार से एरियल बन्च कण्डक्टर मिलेगा । साथ ही कृपया यह सुनिश्चित करें कि ए0बी0सी0 वहीं लगाया जाए जहॉ कटिया/विद्युत चोरी की अधिक सम्भावना हो।

02/01/10

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक– 06 –प्रनि/मध्यांचल/ तद दिनांकः 02-01-2010
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. निदेशक(तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ को अपने स्तर से सभी क्षेत्रों का अनुश्रवण हेतु उचित कार्यवाही करने हेतु ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु प्रेषित। कृपया अपने स्टोर अधिकारियों को निर्देशित कर दे कि पुराना तार भण्डार में जमा कराने के उपरान्त ही ए0बी0सी0 दिया जाए एवं पुराने तार ओ0एण्ड0एम0 से निंगत किया जाए अथवा स्क्रेप कर नियमानुसार लेखा–जोखा रखते हुए निस्तारित किया जाए।

02/01/10

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक